बीज विधेयक – 2025

आशा-किसान स्वराज के द्वारा विश्लेषण

आशा (ASHA) भारत में बीज संबंधित व्यापार को विनियमित करने के लिए एक व्यापक क़ानून का समर्थन करती है — ऐसा क़ानून जो किसानों के हितों को केंद्र में रखता हो (चाहे वे बीज का उपयोग करने वाले या उत्पादन करने वाले किसान हों या किसानों के संगठन हों, या किसानों की परंपरागत पद्धतियाँ जिन्हें संरक्षित और सम्मानित किया जाना चाहिए) । यह क़ानून राज्य सरकारों का संवैधानिक अधिकार को भी बनाए रखे।

हम मानते हैं कि वर्तमान क़ानूनी व्यवस्था किसानों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह से अपर्याप्त हैं — चाहे वह बीज उत्पादन करने वाले या बीज का उपयोग करने वाले किसान हो ।

Email: asha.kisanswaraj@gmail.com

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

- कुछ अनुमानों के अनुसार, वर्ष 2023-24 में भारत का बीज व्यापार लगभग 62,000 करोड़ रुपये का था (20 वर्ष पहले यह लगभग 4,000 करोड़ रुपये का था) ।
- हाल ही में किसानों ने नकली या निम्न-गुणवत्ता वाले बीजों के कारण कई हज़ार करोड़ रुपये के नुकसान की शिकायत की है ।
  साल 2021 में तेलंगाना के अधिकारियों ने लगभग 346 टन नकली बीज ज़ब्त किए थे, जिनमें मुख्य रूप से कपास और मिर्च के बीज शामिल थे। इसी तरह 2024-25 में विभिन्न राज्यों से बीज विफल होने की कई रिपोर्टें सामने आईं है — उत्तर प्रदेश में तरबूज और खरबूजा, पंजाब में सूरजमुखी, बिहार में हाइब्रिड मक्का, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में सोयाबीन, और महाराष्ट्र में तूर (अरहर) के बीज विफल होने की घटनाएँ दर्ज की गईं है । ऐसे नुकसान कृषि संकट में पहले से फंसे किसानों के लिए जीवन-मरण का प्रश्न बन जाते हैं।
- वर्तमान में भारत के कुल बीज उत्पादन का लगभग 71% हिस्सा निजी कंपनियों के पास है । भारत में दो प्रमुख उद्योग संघ हैं (अन्य संगठनों के अलावा): FSII (Federation of Seed Industry of India) — जो मुख्य रूप से बहुराष्ट्रीय कंपनियों (MNCs) द्वारा संचालित है, NSAI (National Seed Association of India) — जिसमें मुख्यतः भारतीय बीज कंपनियाँ शामिल हैं।
- किसानों की आय दोगुनी करने पर स्थापित समिति की रिपोर्ट के अनुसार भारत में अभी भी उपयोग किए जाने वाले 60-65% बीज किसानों के द्वारा स्वयं संरक्षित या बिना लेबल वाले होते है । हालाँकि, भारतीय बीज विज्ञान संस्थान (IISS) के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार, वर्ष 2016 से 2018 के बीच औपचारिक बीज व्यापार (formal seed sector) का योगदान 45% से बढ़कर 54% हो गया । प्राथमिक आँकड़ों के विश्लेषण से यह पता चला कि विभिन्न फसलों में औपचारिक और अनौपचारिक बीज व्यापार का अनुपात इस प्रकार है: क्षेत्रीय फसलें (64.2:35.8), अनाज (67.1:32.9), दलहन (57.2: 42.8), तिलहन (52.3:47.7) । इससे यह स्पष्ट होता है कि किसानों की आजीविका की रक्षा के लिए, बीज संबंधित मजबूत और प्रभावी अधिनीयम अत्यंत आवश्यक है ।

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

- भारत में बीजों से संबंधित कई क़ानून और नियम लागू हैं, जिनमें शामिल हैं —विनाशकारी कीट और पीड़क अधिनियम, 1914 - Destructive Insects and Pests Act, 1914 (प्लांट क्वारंटाइन आदेश, 2003); आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 - Essential Commodities Act, 1955 (बीज नियंत्रण आदेश, 1983 - Seeds Control Order, 1983); बीज अधिनियम, 1966 - Seeds Act, 1966; पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 - Environment Protection Act, 1986 (1989 के नियम जो जीएमओ (GMOs) और हानिकारक सूक्ष्मजीवों एवं उनके उत्पादों से संबंधित हैं); उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 - Consumer Protection Act, 1986; माल का भौगोलिक उपदर्शन (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 - Geographical Indication of Goods Act, 1999; पौध किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 - Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights — PPV&FR Act, 2001; और जैव विविधता अधिनियम, 2002 - Biological Diversity Act — BDA, 2002
- वर्तमान में बीजों से संबंधित व्यावसायिक कारोबार का नियंत्रण बीज अधिनियम, 1966 और आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत बीज नियंत्रण आदेश, 1983 के माध्यम से किया जाता है : https://seednet.gov.in/LegalandAdminFramework.aspx
- बीज अधिनियम, 1966 केवल अधिसूचित (Notified) बीजों को ही विनियमित करता है । किसी अज्ञात कारण से, इस अधिनियम में सभी प्रकार के बीजों को विनियमित करने के लिए संशोधन नहीं किए गए । इसके अलावा, इस अधिनियम की कई धाराएँ, विशेषकर जो अपराधों (Offences) और दंडों (Penalties) से संबंधित हैं, वे वर्तमान परिस्थिति के अनुरूप नहीं है ।
- वर्तमान में बीज अधिनियम की कमियों को पूरा करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत अंतर्गत बीज नियंत्रण आदेश, 1983 का उपयोग किया जाता है ।

बीज अधिनियम *2004*

- साल 2004 में बीज विधेयक (Seeds Bill) राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया था। https://seednet.gov.in/PDFFILES/Seed_Bill_2004.pdf . इसे 16 दिसंबर 2004 को कृषि संबंधी स्थायी समिति (Standing Committee on Agriculture) के पास विचार के लिए भेजा गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट 28 नवंबर 2006 को प्रस्तुत की।
- यह विधेयक उस समय लाया गया था जब भारत ने बीटी कपास (Bt Cotton) के बीजों को मंज़ूरी दी थी।
- इस विधेयक का भारत के किसानों द्वारा तीव्र विरोध किया गया, क्योंकि इसके माध्यम से (धारा 43) किसानों और उनकी बीजों से संबंधित परंपरागत पद्धतियों को विनियमित करने का प्रयास किया जा रहा था और इसमें किसानों को स्पष्ट रूप से नियमन के दायरे से बाहर नहीं रखा गया था। इस विधेयक का एक निश्चित परिणाम किसानों का अपराधीकरण (Criminalisation of Farmers) होता ।
- यदि किसी किसान का बीज की गुणवत्ता या प्रदर्शन में कमी के कारण नुकसान होता है तो उसके मुहवजे के लिए बीज विधेयक, 2004 में कोई स्वतंत्र व्यवस्था नहीं थी एवं उसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत मुआवज़ा मांगने के लिए कहाँ गया था ।
- इस विधेयक ने यह भी अनुमति दी थी कि ट्रांसजेनिक (आनुवंशिक रूप से परिवर्तित) बीजों का “अस्थायी पंजीकरण” (provisional registration) किया जा सकता है — यह पंजीकरण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (EPA) के अंतर्गत अंतिम स्वीकृति प्राप्त होने से दो वर्ष पहले तक मान्य रह सकता था।
- इसमें बीजों के स्व-प्रमाणीकरण (Self Certification of Seed) का भी प्रावधान किया गया था।
- उस समय राज्य सरकारें बीटी कपास (Bt Cotton) बीजों की कीमतों को लेकर भी समस्याओं का सामना कर रही थीं, क्योंकि रॉयल्टी और लाइसेंस शुल्क को नियंत्रित करने के लिए कोई वैधानिक (statutory) प्रावधान उपलब्ध नहीं था। राज्य सरकारें चाहती थीं कि बीज विधेयक में मूल्य नियंत्रण (price regulation) को शामिल किया जाए, और उन्होंने इस बात का विरोध किया कि मूल्य नियंत्रण से संबंधित प्रावधान बिल में नहीं जोड़े गए।

https://indiatogether.org/seedbill-agriculture

2004 के बीज विधेयक में वर्ष *2010* में प्रस्तुत किए गए संशोधन *(Amendments)*

- संसद में अटके हुए बीज विधेयक, 2004 (Seeds Bill 2004) में साल 2010 में कुल 72 संशोधन (Amendments) प्रस्तावित किए गए थे। https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_parliament/2004/Amendments_to_Seeds_Bill_as_on_9_Nov_2010.pdf and https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_parliament/2004/amendments%20seeds%2017%20feb%202011.pdf
- यहाँ प्रस्तुत विश्लेषण में बीज विधेयक, 2004 (Seeds Bill 2004) की तुलना संसदीय स्थायी समिति (Parliamentary Standing Committee) की सिफ़ारिशों और साल 2010 में प्रस्तावित संशोधनों से की गई है। https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_parliament/2004/Note_on_official_Amendments_in_Seeds_Bill_2004.pdf
- 2004 के बीज विधेयक की तुलना में किए गए सुधारों में निम्नलिखित बातें शामिल थीं: किसानों की पारंपरिक प्रथाओं (customary practices) को विनियमन से मुक्त किया गया,सिवाय इसके कि यदि बीज किसी ब्रांड नाम के तहत बेचा जाए, तो वह विनियमन के अंतर्गत आएगा। संशोधनों में किसानों को “उत्पादक” (Producer) की परिभाषा से स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया।
- ट्रांसजेनिक बीजों के अस्थायी पंजीकरण (Provisional Registration) से संबंधित प्रावधान को हटा दिया गया। इसी प्रकार, बीजों के स्व-प्रमाणीकरण (Self Certification) का प्रावधान भी निरस्त कर दिया गया।
- पंजीकृत किस्मों की पंजीकरण अवधि (registration period) को 2004 के बिल की तुलना में कई वर्षों तक घटाया गया।
- विदेशी प्रमाणन एजेंसियों (Foreign certification agencies) को भी मान्यता (recognition) के लिए अधिसूचित किया जा सकता है।
- अपराधों के लिए दंड (Penalties) में थोड़ा इज़ाफा किया गया, लेकिन यह संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों के अनुरूप नहीं था।
- बीज विधेयक में एक “मुआवज़ा समिति” (Compensation Committee) गठित करने का प्रस्ताव भी जोड़ा गया।

ASHA response: https://kisanswaraj.in/seeds-bill-amendments-sought/

ड्राफ्ट बीज विधेयक, *2019*

- **किसानों को विनियमन से स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया**, और उनकी **पारंपरिक प्रथाओं** को भी मान्यता दी गई - सिवाय इसके कि **यदि बीज किसी ब्रांड नाम से बेचा जाए**, तो वह विनियमन के अधीन रहेगा। **किसानों को "उत्पादक" (Producer)** की परिभाषा से बाहर रखा गया (जो बीज का उत्पादन करते हैं या कराते हैं)।
- हालांकि, **2010 के संशोधन की तुलना में किसान की परिभाषा को अधिक सीमित (narrow)** कर दिया गया।
- **बीज की परिभाषा (Definition of Seed)** का विस्तार किया गया — इसमें **कृत्रिम बीज (Synthetic Seed)** के साथ-साथ **कटिंग, ग्राफ्ट, पौध, कंद आदि** को भी शामिल किया गया।
- किसानों की किस्मों (Farmers' Varieties) को **पंजीकरण से मुक्त** रखा गया। किसानों की किस्मों (Farmers' Varieties) को **पंजीकरण से मुक्त** रखा गया।
- **केंद्रीय बीज समिति (Central Seed Committee)** में **किसानों की संख्या बढ़ाई गई**।
- **राज्य बीज समिति (State Seed Committee)** के माध्यम से **राज्य सरकारों को अधिक स्वायत्तता** दी गई ताकि वे राज्य बीज किस्मों का पंजीकरण कर सकें।
- एक **प्रावधान के तहत किसानों की किस्मों का पंजीकरण अनिवार्य नहीं** रखा गया।
- **"अस्थायी पंजीकरण (Provisional Registration)"** की जगह **"कल्पित पंजीकरण (Deemed Registration)"** की अवधारणा लाई गई।
- **मुआवज़े (Compensation)** से जुड़ी धारा को वापस उसी रूप में लाया गया, जिसमें किसान को **उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (Consumer Protection Act)** के तहत दावा करना होगा।
- **"बीज गुणवत्ता निगरानी अधिकारी" (Seed Quality Monitoring Officers)** की नई अवधारणा जोड़ी गई — ऐसे अधिकारी **केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त** किए जाएंगे, जबकि **राज्य सरकार बीज निरीक्षकों (Seed Inspectors)** को नियुक्त करेगी; दोनों के अधिकार समान रहेंगे।
- **आपातकालीन परिस्थितियों (Emergent Situations)** में **राज्य सरकारों को बीज मूल्य नियंत्रण (price regulation)** का अधिकार दिया गया, ताकि वे राज्य बीज किस्मों के दाम तय कर सकें।
- **बीजों के स्व-प्रमाणीकरण (Self Certification)** को समाप्त किया गया — अब केवल **मान्यता प्राप्त प्रमाणन एजेंसियाँ (accredited certification agencies)** ही प्रमाणन कर सकेंगी; इसके अलावा, **विदेशी प्रमाणन एजेंसियों** को भी अधिसूचित किया जा सकता है।
- यह स्पष्ट किया गया कि **ट्रांसजेनिक बीजों का आयात (import) पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (EPA)** या किसी अन्य प्रचलित कानून के अधीन रहेगा।
- **अपराधों के लिए दंड (Penalties)** बहुत **कम रखे गए**, जबकि इस बीच **एक दशक से अधिक समय बीत चुका था**।

ASHA response: https://kisanswaraj.in/2019/10/06/amendments-to-seeds-bill-essential-for-protecting-indian-farmers-interests/

ड्राफ्ट बीज विधेयक 2025 ऐसे समय लाया गया है जब उद्योग लॉबी की मांगे पूरी करने के लिए “सामंजस्य (harmonisation)” जैसे की एक नारा बन गया हो ! इस विधेयक में बड़े उद्योग समूहों के हितों के अनुरूप एकीकरण (consolidation) के प्रयास साफ़ दिखाई देते हैं। यह विधेयक तब लाया जा रहा है जब —अन्य कानूनों के माध्यम से कीमत नियंत्रण (price control) को सफलतापूर्वक लागू किया जा चुका है, और कई राज्य स्तरीय कानून (state-level legislations) या तो पहले से लागू किए जा चुके हैं या निर्माण की अंतिम अवस्था में हैं ।

ड्राफ्ट बीज विधेयक *2025* – संस्थागत संरचना

- केंद्रीय बीज समिति (Central Seed Committee) – 27 सदस्यों वाली यह समिति सरकारों को निम्नलिखित विषयों पर सलाह देगी: बीज कार्यक्रम/योजना, बीज विकास, उत्पादन, भंडारण और प्रसंस्करण, बीजों का आयात और निर्यात, पंजीकरण, प्रमाणन और बीज परीक्षण के मानक, राष्ट्रीय और राज्य बीज किस्मों का पंजीकरण और उसका प्रवर्तन - इसकी कार्यप्रणाली के लिए कोई विशेष विवरण नहीं दिया गया है ।
- पंजीकरण उप-समिति (Registration Sub-Committee) – विधेयक में इसके कार्यों का कोई विस्तृत विवरण नहीं दिया गया है; इसकी संरचना और कार्यप्रणाली केंद्रीय बीज समिति पर छोड़ी गई है।- यह समिति दावों की जांच के बाद बीज की किस्म या प्रकार के पंजीकरण की सिफारिश करेगी ।
- अन्य उप-समितियाँ (Other Sub-Committees) – इसके बारे में भी कोई स्पष्ट विवरण नहीं दिया गया है। केवल एक उदाहरण के रूप में बीज प्रमाणन उप-समिति (Seed Certification Sub-Committee) का उल्लेख किया गया है, जो केंद्रीय बीज समिति के बाहर के व्यक्तियों से भी पूरी तरह गठित की जा सकती है ।
- राज्य बीज समिति (State Seed Committee) – अधिकतम 15 सदस्य — इसकी संरचना का निर्धारण राज्य सरकार करेगी।यह समिति निम्नलिखित कार्यों के लिए जिम्मेदार होगी: राज्य बीज किस्मों के पंजीकरण पर पंजीकरण उप-समिति को सलाह देना; राज्य सरकार को बीज उत्पादकों, प्रसंस्करण इकाइयों, बीज विक्रेताओं, वितरकों और पौधशालाओं (plant nurseries) के पंजीकरण पर सलाह देन; ज़िला-वार सूचियाँ तैयार करना; स्टॉक, मूल्य, बिक्री और अन्य संबंधित जानकारी एकत्र करना; इस अधिनियम से उत्पन्न मामलों पर राज्य सरकार को परामर्श देना ।
- पंजीयक (Registrar) और अन्य अधिकारी – अधिनियम के तहत बीजों की किस्मों या प्रकारों के पंजीकरण के लिए नियुक्त किए जाएंगे ।
- बीज प्रमाणन एजेंसियाँ (Seed Certification Agencies) – राज्य सरकारों द्वारा स्थापित की जाएँगी; इन एजेंसियों का मान्यता-प्रमाणन (Accreditation) किया जाएगा ।
- अपील प्राधिकारी (Appellate Authority) –केंद्रीय बीज समिति के भीतर ही अपीलों का निपटारा किया जाएगा। राज्य सरकार के निर्णयों के लिए एक अपील प्राधिकरण (1 से 3 सदस्यों वाला) गठित किया जाएगा; इसके विवरण नियमों में निर्धारित किए जाएंगे ।
- केंद्रीय और राज्य बीज परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना किया जाएगी ।
- केंद्र और राज्य सरकारें अपनी-अपनी प्रयोगशालाओं में बीज विश्लेषक (Seed Analysts) नियुक्त करेंगे ।
- बीज निरीक्षक (Seed Inspectors) –राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त किए जाएँगे ।

गुणवत्ता नियंत्रण की रूपरेखा

- किसी भी बीज की बिक्री तभी की जा सकेगी जब वह पंजीकृत (registered) हो — किसानों की किस्मों (farmers' varieties) को इस पंजीकरण से मुक्त रखा गया है । बिना पंजीकरण के बीज की बिक्री अनुमति-योग्य नहीं होगी, और कुछ मामलों में पंजीकरण विशेष कारणों से अस्वीकृत भी किया जा सकेगा ।
- सभी उत्पादकों का (Producers) और बीज की आपूर्ति श्रृंखला (seed supply chain) से जुड़े अन्य सभी प्रतिभागियों का पंजीकरण अनिवार्य होगा (ध्यान दें — यह लाइसेंस (License) नहीं है, जैसा कि 2004 के विधेयक में अवधारणा थी) । उत्पादक की परिभाषा में किसान शामिल नहीं हैं ।
- व्यापार के लिए बनाए गए सभी बीजों को अंकुरण (germination), आनुवंशिक एवं भौतिक शुद्धता (genetic and physical purity), गुण-लक्षण (traits), बीज स्वास्थ्य (seed health) और अन्य निर्धारित मानकों के अनुरूप होना होगा । इसके अतिरिक्त, बीज के कंटेनर (पैकेजिंग) पर भी निर्धारित विवरण होना आवश्यक होगा, जिसमें केंद्र सरकार के केंद्रीकृत बीज अनुरेखण पोर्टल (Centralised Seed Traceability Portal) से जुड़ी ट्रेसेबिलिटी (traceability) भी शामिल होगी। (ट्रेसेबिलिटी से संबंधित प्रावधान NARS पर भी लागू होंगे।)
- बीज निरीक्षक (Seed Inspectors) निर्धारित तरीके से बीज के नमूने एकत्र करेंगे और उन्हें बीज विश्लेषक (Seed Analysts) को भेजेंगे । निरीक्षक जिला प्रशासन को पूर्व सूचना देकर किसी भी स्थान में प्रवेश और तलाशी (search) ले सकते हैं । इसमें शामिल हैं — बीज विक्रेता का स्थान, वह स्थान जहाँ बीज खरीदार को बीज भेजा या सौंपा जा रहा हो, या खरीदार/प्राप्तकर्ता (consignee) का स्थान । वे किसी भी अभिलेख की जांच कर सकते हैं और आवश्यकता होने पर जप्ती (seizure) भी कर सकते हैं।
- कुछ अपराधों (offences) को संज्ञान में (cognizance) अधिकृत अधिकारियों द्वारा लिया जाएगा, जो अधिनिर्णायक अधिकारी (adjudicating officers) के रूप में कार्य करेंगे (एकवचन में "Officer") । न्यायालय किसी मामले को संज्ञान में केवल तब लेंगे जब शिकायत बीज निरीक्षक द्वारा दायर की गई हो ।

ड्राफ्ट बीज विधेयक *2025* बनाम *PPV&FR* अधिनियम, *2001* में “किसान”

- Sec. 1(2) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित किए जाने के अलावा, यह लागू होगा— …. किसान को छोड़कर
- Sec.1(2)(l) "किसान" से अभिप्राय किसी ऐसे व्यक्ति से है जो— स्वयं भूमि की जुताई कर फसल उगाता है; या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से भूमि की जुताई की प्रत्यक्ष देखरेख करते हुए फसल उगाता है, चाहे उसके पास भूमि का स्वामित्व हो या न हो; परंतु इसमें कोई कंपनी, व्यापारी या विक्रेता सम्मिलित नहीं होगा जो व्यावसायिक रूप से बीजों की खरीद और बिक्री करता है।
- Sec.1(2)(u) "उत्पादक" से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति/समूह/संस्था से है जो बीज उगाता है या उसका उत्पादन आयोजित करता है, परंतु किसान को छोड़कर;
- Sec.13(1): इस अधिनियम के प्रारंभ की तिथि से, किसी भी प्रकार या किस्म के बीज (किसान किस्मों एवं केवल निर्यात के लिए उत्पादित किस्मों को छोड़कर) को बोने या रोपण के उद्देश्य से कोई भी व्यक्ति तब तक विक्रय नहीं करेगा जब तक कि …..
- Sec.34 धारा 34 के प्रावधान उन किसानों पर लागू नहीं होंगे जो अपने स्वयं के खेत में उत्पन्न बीज बेचते या आदान-प्रदान करते हैं.

PPV&FR अधिनियम

Sec.2(k) “किसान” का अर्थ है कोई भी व्यक्ति जो —(i) स्वयं भूमि की खेती करके फसल उगाता है, या (ii) किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से भूमि की खेती का प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण (direct supervision) करते हुए फसल उगाता है, या (iii) किसी अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर या व्यक्तिगत रूप से किसी वन्य प्रजाति या पारंपरिक किस्मों (traditional varieties) का संरक्षण और संवर्धन करता है,तथा उन वन्य प्रजातियों या पारंपरिक किस्मों में उपयोगी गुणों का चयन और पहचान करके उनका मूल्यवर्धन (value addition) करता है।

Sec.2(l): “किसानों की किस्म” (Farmers’ Variety) का अर्थ है ऐसी किस्म जो —(i) पारंपरिक रूप से किसानों द्वारा उनके खेतों में उगाई और विकसित की गई हो, या(ii) किसी ऐसी जंगली प्रजाति (wild relative) या स्थानीय नस्ल (land race) से संबंधित हो,जिसके बारे में किसानों के पास सामूहिक पारंपरिक ज्ञान (common knowledge) हो।

किसान की परिभाषा वही होनी चाहिए जो PPV&FR Act अधिनियम में दी गई है।

इसमें किसान उत्पादक संगठन (FPO) — जैसे सहकारी समितियाँ, उत्पादक कंपनियाँ (Producer Companies), स्वयं सहायता समूह (SHGs), तथा सामुदायिक बीज बैंक (Community Seed Banks) — को भी स्पष्ट रूप से शामिल किया जाना चाहिए।
शर्त यह हो कि इन संगठनों के कम-से-कम 75% सदस्य अन्य किसानों के लिए बीज उत्पादन करते हों, और यह कार्य सरकारी प्रमाणन से किया जाता हो ।
साथ ही, FPO का आकार (market size) और भौगोलिक विस्तार (geographical spread) पर एक सीमा (ceiling) निर्धारित की जानी चाहिए,
जिसे समय-समय पर निर्धारित मानदंडों (criteria) के अनुसार संशोधित किया जा सकता है ।

ड्राफ्ट बीज विधेयक *2025*

Red Flag (भयसूचक चिन्ह) 1:

किसानों को नकली, निम्न-गुणवत्ता और गलत लेबल वाले बीजों से हुए नुकसान के लिए किसी भी प्रकार के मुआवज़े का प्रावधान नहीं किया गया है। यह स्थिति *2004* के बीज विधेयक में वर्ष *2010* में किए गए संशोधनों *(2010 Amendments)* से एक कदम पीछे हटने जैसी है।

Red Flag 2:

विधेयक का उद्देश्य यह कहता है की: यह एक ऐसा विधेयक है जिसका उद्देश्य बिक्री और आयात के लिए बीजों की गुणवत्ता को विनियमित करना, गुणवत्ता युक्त बीजों के उत्पादन और आपूर्ति को सुगम बनाना, तथा इनसे संबंधित या इनके अनुपूरक मामलों का प्रावधान करना है।

परंतु

- गुणवत्ता वाले बीजों के उत्पादन और आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए किसी क़ानून की आवश्यकता नहीं है; इसके लिए कोई योजना या कार्यक्रम पर्याप्त होगा।
- विधेयक के उद्देश्य में बीज के मूल्य नियंत्रण *(Price regulation)* से संबंधित किसी भी प्रावधान का उल्लेख नहीं किया गया है।

Red Flag 3:

Sec.1(2) परंतु यह उपबंधित है कि इस अधिनियम में कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो किसान के इस अधिकार को प्रतिबंधित करे कि <u>वह पंजीकृत किस्म या प्रकार के</u> अपने खेत के बीजों को उगा सके, बो सके, दुबारा बो सके, संचित कर सके, उपयोग कर सके, विनिमय कर सके, साझा कर सके या बेच सके, लेकिन वह ऐसे बीज या रोपण सामग्री को ब्रांड नाम से बेच नहीं सकता है।

- यदि कोई उत्पादक *(Producer)* किस्म का पंजीकरण नहीं कराता है, तो इससे किसानों के बीज संबंधी अधिकारों पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए —यानी किसानों को बीज को उगाने, बोने, पुनः बोने, संरक्षित करने, उपयोग करने, आदान-प्रदान करने, बाँटने या बेचने का पूरा अधिकार बना रहना चाहिए। बीज विधेयक *2025 (Seeds Bill 2025)* के प्रावधान में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इसमें ठीक वही शब्दावली *(exact wording)* हो जो *PPV&FR* अधिनियम *2001* की धारा *39(1)(iv)* में दी गई है। आख़िरकार, ये अधिकार क़ानून द्वारा प्रदत्त अधिकार *(rights enshrined in law)* हैं, सिर्फ़ किसी प्रकार की छूट *(exemption)* नहीं — जैसा कि वर्तमान ड्राफ्ट में दर्शाया गया है।

ड्राफ्ट बीज विधेयक *2025*

Red Flag 4

Sec. 22 - **बीजों के बिक्री मूल्य** का विनियमन केवल **आपातकालीन परिस्थितियों** में किया जा सकता है, वह भी **केंद्रीय सरकार के विवेक पर**— अर्थात्, सरकार **"कर सकती है"**

सभी बिक्री के लिए निर्धारित बीजों के लिए मूल्य सीमा *(price range)* तय क्यों नहीं की जा सकती *?*और राज्य सरकारों को वह अधिकार क्यों नहीं दिया गया, जैसा कि ड्राफ्ट बीज विधेयक, *2019* की धारा *27(*ब*)* के अंतर्गत उपलब्ध था *?*

Red Flag 5

"अन्य किसी संगठन" को प्रमाणन का कार्य करने के लिए मान्यता (Accreditation) दी जा सकती है —लेकिन क्या यह प्रावधान स्व-प्रमाणीकरण (Self-Certification) की संभावना नहीं पैदा करेगा,जैसा कि बीज विधेयक, 2004 (Seeds Bill 2004) (Sec.24 (1)) में था?

Sec.25 - बीज प्रमाणीकरण एजेंसी द्वारा प्रमाणपत्र का अनुदान बीज के भारतीय न्यूनतम बीज प्रमाणीकरण मानकों को पूरा करने के छानविन पर किया जाएगा।

बीज प्रमाणन *(Seed Certification)* के लिए मानकों का कोई स्पष्ट आधार निर्धारित नहीं किया गया है*!* भारत में अधिकांश बीज पहले से ही *truthfully labeled* के तहत बेचे जाते हैं,और प्रमाणीकरण *(Certification)* अब तक स्वैच्छिक *(voluntary)* रहा है। अब, इस स्थिति में प्रमाणीकरण पूरी तरह अविश्वसनीय हो जाएगा।

Red Flag 6

भारत के बाहर स्थापित बीज प्रमाणन एजेंसियों (Seed Certification Agencies) को **मान्यता (Recognition)** प्रदान की जा सकती है (Sec.27) -

इसकी आवश्यकता ही क्या है, और इसे शामिल क्यों किया गया है*?*ये विदेशी बीज प्रमाणन एजेंसियाँ *(Seed Certification Agencies)* प्रमाणीकरण की प्रक्रिया कहाँ करेंगी,और भारत में वास्तविक बीज उत्पादन पर इनका नियंत्रण या निगरानी किस प्रकार होगी*?*यह विषय धारा *43(2)(zg)* से संबंधित है।

ड्राफ्ट बीज विधेयक, *2025*

रेड फ़्लैग 7

- राज्य सरकारों की अधिकार-क्षमता को सीमित किया जाना
- **धारा 17(8)** के माध्यम से बहुराष्ट्रीय कंपनियों (MNCs) और बड़े कॉरपोरेशनों को सीधे केंद्रीय सरकार द्वारा पंजीकृत किया जा सकता है, जबकि राज्य सरकारों के पास इस पर कोई वरीय या निरस्तीकरण का अधिकार नहीं होगा। इसे औपचारिक रूप से "मान्यता (accreditation)" कहा जा रहा है।
- **धारा 22** राज्य सरकारों को अपने क्षेत्राधिकार में बीजों के बिक्री मूल्य को विनियमित करने का अधिकार नहीं देती।
- **धारा 24** राज्य सरकारों को बीज प्रमाणन एजेंसियों को मान्यता देने की अनुमति नहीं देती, जब तक कि केंद्रीय सरकार से पूर्वानुमोदन न प्राप्त हो।
- **धारा 38(1)** केंद्रीय सरकार को किसी भी राज्य सरकार को निर्देश देने का अधिकार प्रदान करती है, और **धारा 38(3)** के अनुसार, यह निर्णय कि कोई विषय "नीति का मामला" है या नहीं—केंद्रीय सरकार का निर्णय अंतिम माना जाएगा।
- **धारा 41** इस अधिनियम को अन्य सभी अधिनियमों पर वरीयता (overriding effect) प्रदान करती है।
- **धारा 43** केंद्रीय सरकार को नियम बनाने का व्यापक अधिकार देती है, जिसमें वे क्षेत्र भी शामिल हैं जिन पर इस विधेयक में राज्य सरकारों के अधिकारों का उल्लेख किया गया है।

रेड फ़्लैग 8

- **"ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस" को विधिक अधिकार के रूप में शामिल किया जाना**
- **धारा 17(8)(a)** में यह लिखा गया है कि "व्यवसाय करने में सुगमता को बढ़ावा देने" के उद्देश्य से—एक *"योग्यता-आधारित, पारदर्शी केंद्रीय मान्यता प्रणाली"* बहुराज्यीय कंपनियों के लिए स्थापित की जाएगी। इस प्रणाली के अंतर्गत मान्यता प्राप्त कंपनियों को, मान्यता प्राप्त होने की तिथि से ही, इस धारा के अंतर्गत पंजीकृत माना जाएगा।
- यह प्रश्न उठता है कि—कॉरपोरेट क्षेत्र के लिए *"ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस"* कब से और क्यों एक वैधानिक *(कानूनी)* अधिकार बन गया*?* वह भी ऐसे विधेयक में, जिसका मूल उद्देश्य किसानों के हितों की रक्षा करना है। यदि व्यवसायिक सुविधा ही प्रमुख आधार बन जाए, तो फिर किसी नियामक *(रेगुलेटरी)* कानून की आवश्यकता ही क्या रह जाती है*?*
- मान्यता *(accreditation)* के आधार पर सीधा पंजीकरण देना—बड़ी कंपनियों को विशेष सुविधा प्रदान करने जैसा है। इसके पीछे क्या कारण है*?*
- भारत में सामुदायिक बीज तंत्र *(community seed sector)* की सुरक्षा और सुदृढ़ीकरण के लिए सरकार ने अब तक क्या ठोस कदम उठाए हैं*?* इस प्रकार का स्पष्ट पक्षपात क्यों दिखाई देता है*?*

ड्राफ्ट बीज विधेयक, *2025*

- **रेड फ्लैग 9:**
  बीज निरीक्षकों को केवल तीन प्रकार की जगहों से नमूने लेने का अधिकार दिया गया है—
- कोई भी व्यक्ति जो बीज बेच रहा हो,
- कोई भी व्यक्ति जो बीज को खरीदार या प्राप्तकर्ता तक ले जा रहा हो / पहुँचाने की तैयारी कर रहा हो,
- कोई खरीदार या प्राप्तकर्ता, जिसे बीज की आपूर्ति हो चुकी हो।
- हालाँकि, अधिनियम में पंजीकृत उत्पादकों, प्रसंस्करण इकाइयों, बीज विक्रेताओं, वितरकों एवं पौध नर्सरियों जैसे स्थानों का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। यह प्रश्न उठता है कि जब वास्तविक उत्तरदायी संस्थाओं पर कार्रवाई का दायरा सीमित है, तो इसके विपरीत व्यापारी, परिवहनकर्ता और यहाँ तक कि किसान *(जो केवल बीज खरीदने वाले होते हैं)* बीज निरीक्षकों की नमूना-संग्रह, छापेमारी, सीलिंग और जब्ती जैसी शक्तियों के दायरे में क्यों लाए जा रहे हैं*?*
-
- **रेड फ्लैग 10:**
  धारा 28 (समीक्षा और अपील) में, 2010 के संस्करण में जहाँ केंद्र सरकार द्वारा एक अपीलीय प्राधिकरण स्थापित करने का प्रावधान था, अब प्रस्ताव है कि अपीलें केंद्रीय बीज समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाएँ—अर्थात् वही समिति अपने निर्णयों की स्वयं समीक्षा करेगी। यह एक सुदृढ़ वैधानिक सिद्धांत नहीं माना जाता, भले ही इसका प्रभाव मुख्यतः बीज उद्योग के पंजीकृत संस्थानों पर पड़े। राज्य सरकार के निर्णयों से प्रभावित पक्षों के लिए अलग से एक अपीलीय प्राधिकरण नियुक्त करने का प्रस्ताव है।

ड्राफ्ट बीज विधेयक, *2025*

- **रेड फ्लैग 11:**
- धारा 33 – बीज आयात में केवल *Plant Quarantine Order of 2003* का उल्लेख है, जबकि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, *1986* तथा विदेश व्यापार विनियमन अधिनियम का उल्लेख नहीं किया गया है। यह *2019* के विधेयक से स्पष्ट रूप से भिन्न है।
- इसके अतिरिक्त, आयात की अनुमति उस पंजीकरण के आधार पर दी जा सकती है, जो आयातक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाओं पर आधारित होगा — विशेषकर निर्यातक देश में किए गए बहु-स्थलीय परीक्षणों *(multi-locational trials)* के परिणामों पर।
- धारा *33(2)* में यह भी प्रावधान है कि किसी पंजीकृत नहीं *(unregistered)* किस्म या प्रजाति के आयात को *"*परीक्षण उद्देश्यों*"* के लिए अनुमति दी जा सकती है। यह प्रश्न उठता है कि जब *"*अनुसंधान*" (research)* का जिक्र पहले से मौजूद है, तो *"*ट्रायल*" (trial)* से अलग कौन-सा उद्देश्य अभिप्रेत है*?*
- **रेड फ्लैग 12:**

  केंद्रीय बीज समिति को अपनी "उप-समितियाँ" गठित करने के व्यापक अधिकार दिए गए हैं, जिनमें बाहरी व्यक्तियों को भी शामिल किया जा सकता है। साथ ही, समिति अपने कार्य संचालन के लिए प्रक्रियाएँ स्वयं निर्धारित कर सकती है। यह विचारणीय है कि क्या यह व्यवस्था विधिसम्मत और व्यावहारिक होगी, या समिति की संरचना ही इसके सुचारु संचालन को सुनिश्चित करेगी*?* अन्य समान विनियामक अधिनियमों में ऐसी प्रक्रियाएँ सामान्यतः मूल अधिनियम *(bare Act)* में ही दी जाती हैं।

ड्राफ्ट बीज विधेयक, *2025*

- **रेड फ्लैग 13:**

- **धारा 34 – "तुच्छ अपराध"**
  किसी भी कानून में किसी अपराध को *"तुच्छ" (trivial)* कहना उचित नहीं माना जाता। जब अवैध *HT* कपास बीजों का करोड़ों रुपये का व्यापार चल रहा है, तो *"बीज पैकेट पर लेबल न लगाना"* जैसे उल्लंघन को *"तुच्छ अपराध"* की श्रेणी में क्यों रखा जा रहा है*?* तुच्छ अपराधों का निपटारा केवल सुधार हेतु लिखित नोटिस देकर तथा तीन वर्ष की अवधि में पचास हजार रुपये के जुर्माने से किया जाएगा।

- अपराधों पर संज्ञान एक **निर्णायक-अधिकारी (Adjudicating Officer)** द्वारा लिया जाएगा, जिसे केंद्र/राज्य सरकार/केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। यही अधिकारी जांच करेगा और दंड भी निर्धारित करेगा। यह व्यवस्था किसानों या उद्योग —दोनों के लिए कितनी पर्याप्त है, यह गंभीर प्रश्न है।

- दंड वर्तमान स्थिति में हुए नुकसान और कई अवैध संचालकों द्वारा कमाए गए भारी मुनाफे के अनुपात में बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। यदि दंड कठोर और निरोधक *(deterrent)* नहीं होगा, तो किसानों के हितों की रक्षा कैसे होगी*?*
  *(*धारा *34* के तहत दंड केवल नोटिस*/50,000* रुपये से लेकर *30* लाख रुपये या अधिकतम *3* वर्ष की कैद तक सीमित है।*)*

- डीलर पंजीकरण का निरस्तीकरण अपराधों की सूची में शामिल किया गया है, लेकिन बीज आपूर्ति श्रृंखला के अन्य पक्षों के लिए दंड का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है।

- अपराध के समझौते *(Compounding)* का प्रावधान तो रखा गया है, परंतु *"black-listing"* का प्रावधान नहीं है।

- धारा *36* – संपत्ति की जब्ती *(Forfeiture):*
  दोषसिद्धि के बाद केवल उस बीज को जब्त करने का प्रावधान है जिसके संबंध में उल्लंघन किया गया है। आश्चर्यजनक रूप से यह जब्त बीज राज्य सरकार द्वारा नष्ट करने के बजाय केंद्र सरकार के हवाले किया जाएगा।

ड्राफ्ट बीज विधेयक, *2025*

- **रेड फ्लैग 14:**
- धारा 13(1)(a) के माध्यम से **"मान लिया गया अस्थायी पंजीकरण (Deemed Provisionally Registered)"** की अवधारणा शामिल की गई है, जिसके बाद तीन वर्षों के भीतर पूर्ण पंजीकरण किया जाएगा। धारा 14(1) में वास्तविक पंजीकरण प्रक्रिया में **"मानव एवं पशुओं के लिए सुरक्षा"** जैसे तत्व को जोड़ा गया है।
- लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि ऐसा क्यों किया गया है। यह प्रश्न उठता है कि क्या यह जीन प्रौद्योगिकियों पर *EPA (Environmental Protection Act)* के नियंत्रण से हटकर किसी नई दिशा में ले जाने का प्रयास है?
- इसके अतिरिक्त, यह बताने के बजाय कि सुरक्षा मूल्यांकन किस नियम या विनियम के तहत किया जाएगा, धारा *14* केवल यह कहती है कि—"पंजीकरण उप-समिति आवश्यक जाँच करेगी, और यह संतुष्ट होने पर कि प्रकार या किस्म आवेदक/विक्रेता द्वारा किए गए दावों के अनुरूप है तथा मानव एवं पशु स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित है, पंजीकरण की अनुशंसा कर सकती है।"
- यदि यह प्रावधान *GMO (*जेनेटिकली मॉडिफाइड जीवों*)* के नियमन से संबंधित है, तो यह गंभीर हित-संघर्ष *(conflict of interest)* का मामला बन जाता है—क्योंकि ऐसे मामलों में नियामक *(regulator)* का कृषि मंत्रालय के अधीन होना उचित नहीं माना जाता।

ड्राफ्ट बीज विधेयक, *2025*

रेड फ्लैग 15:

- धारा 16 — प्रदर्शन का मूल्यांकन (Evaluation of Performance) में, उपधारा 16(3) के अनुसार, केंद्र सरकार भारत के बाहर स्थापित किसी भी संगठन को यह मान्यता दे सकती है कि वह किसी भी प्रकार या किस्म के **खेती और उपयोग के मूल्य (VCU – Value for Cultivation and Use)** का परीक्षण कर सके।
- यह प्रावधान भारत की दशकों पुरानी किस्म जारी करने की वैज्ञानिक प्रणाली और मूल्यांकन परीक्षण प्रणाली का महत्व कम करता है और उसकी वैज्ञानिक वैधता पर सवाल उठाता है।
- इसके साथ ही, **धारा 43(2)(n)** भी इसी विषय से संबंधित है।

रेड फ्लैग 16:

- धारा *15* में पंजीकरण रद्द *(Revocation),* निलंबन *(Suspension)* और वापसी *(Withdrawal)* के अतिरिक्त अस्वीकृति *(Refusal)* का प्रावधान भी होना चाहिए था।
- साथ ही, इसमें सिंथेटिक बीज *(Synthetic Seeds)* और इसी प्रकार की अन्य सामग्रियों को भी शामिल किया जाना चाहिए था।

रेड फ्लैग 17:

- क्योंकि इस विधेयक में मूल्य विनियमन *(Price Regulation)* का प्रावधान शामिल नहीं किया गया है, इसलिए बीज उत्पादकों हेतु बीज गुणित करने वाले किसानों के हितों की सुरक्षा, विशेषकर क्रय मूल्य *(Procurement Price)* से संबंधित प्रावधान, इस अधिनियम में सम्मिलित नहीं किए गए हैं।

ड्राफ्ट बीज विधेयक *2025* में ध्यान देने योग्य बातें

- **Sec. 2(1)(c)** – “ब्रांड नाम” का अर्थ है ऐसा ब्रांड जो किसी विशिष्ट चिन्ह, डिज़ाइन या नाम से पहचाना जा सके।
  (जबकि PPV&FR अधिनियम, 2001 में “ब्रांडेड बीज” का अर्थ है ऐसा बीज जिसे किसी पैकेट या अन्य कंटेनर में डालकर इस प्रकार लेबल किया गया हो कि वह इस अधिनियम के अंतर्गत संरक्षित किस्म का बीज हो।)
- **Sec. 2(1)(e)** – प्रमाणन एजेंसी की परिभाषा में विदेशी प्रमाणन एजेंसियाँ भी शामिल की गई हैं।
- **Sec. 2(1)(l)** – किसान की परिभाषा में वर्ष 2010 के संशोधनों में जो प्रावधान जोड़े गए थे, वे इसमें शामिल नहीं हैं।
- **Sec. 2(1)(z)** – “बीज” का अर्थ किसी भी प्रकार के जीवित भ्रूण या संवर्धन-जनित पौध-पुंज (propagule) से है, जिसमें पौध, सिंथेटिक बीज और अन्य वनस्पति जनित सामग्री शामिल हैं।
- **Sec. 2(1)(zj)** – “किस्म (Variety)” की परिभाषा PPV&FR अधिनियम, 2001 में दी गई परिभाषा से भिन्न है।
- यदि **Sec. 2(2)** पहले से ही अस्तित्व में है, तो कुछ शब्दों की अलग परिभाषाएँ देने की आवश्यकता क्या है?

पूर्व में दिए गए कुछ सुझाव

- **विधेयक का उद्देश्य इस प्रकार होना चाहिए:**
  “यह विधेयक बीजों की गुणवत्ता तथा उनकी कीमत के विनियमन, उनके विक्रय, आयात एवं निर्यात के लिए प्रावधान करने, और किसानों को विविध किस्मों के उपयुक्त तथा पर्याप्त मात्रा में बीज समय पर, पारदर्शी एवं जवाबदेह व्यवस्था में उपलब्ध कराने हेतु बनाया गया है, जिसमें सामुदायिक बीज प्रणालियों को पर्याप्त समर्थन भी शामिल हो, तथा उससे संबंधित या उससे incidental अन्य विषयों के लिए भी प्रावधान हों।”
- **“प्रारंभिक” (Preliminary) भाग में, धारा 1, खंड 3, उप-खंड (b):**
  “यह भी प्रावधान हो कि इस अधिनियम में ऐसा कुछ नहीं होगा जो किसान के बीज और रोपण सामग्री को उगाने, सुरक्षित रखने, उपयोग करने, अदल-बदल करने, विनिमय करने, साझा करने या बेचने के अधिकार को प्रतिबंधित करे, सिवाय उस स्थिति के जब किसान ऐसे बीज या रोपण सामग्री को इस अधिनियम के अंतर्गत पहले से पंजीकृत ब्रांड नाम के तहत बेचता/बेचती हो।”
- **परिभाषाओं (‘Definitions’) की धारा 2 में नया खंड (2) जोड़ा जाए:**
  “ब्रांडेड बीज वह बीज है जिसे विशेष रूप से किसी पैक्ड कंटेनर में लेबल लगाकर तथा किसी व्यापारिक नाम के तहत बेचा जाता हो, और जो किसानों की पारंपरिक किस्मों (farmers’ varieties) में शामिल नहीं हो सकता।”
- **परिभाषाओं की धारा 2, खंड 19 में संशोधित परिभाषा:**
  “उत्पादक (Producer) का अर्थ है कोई भी व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह, फर्म या संगठन जो बीज का उत्पादन करता है या व्यावसायिक प्रयोजन के लिए बीज उत्पादन का आयोजन करता है; परंतु इसमें वह किसान संगठन शामिल नहीं होगा, जिसकी कुल सदस्यता में 75% से अधिक किसान अन्य किसानों के लिए सरकार द्वारा प्रदत्त प्रमाणन समर्थन के साथ बीज उत्पादन कर रहे हों।”
- बीज आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े हितधारकों के लिए ‘पंजीकरण’ शब्द का उपयोग न कर ‘लाइसेंसिंग’ शब्द का प्रयोग किया जाए।
  इसका उद्देश्य PPV&FR अधिनियम (जो एक बौद्धिक संपदा अधिकार कानून है) के तहत जारी “पंजीकरण प्रमाणपत्रों” के साथ किसी प्रकार का भ्रम उत्पन्न होने से रोकना है।
  लाइसेंसिंग को अनावश्यक रूप से नकारात्मक या अवांछनीय प्रक्रिया मानने की भी आवश्यकता नहीं है।

बीज विधेयक में हम क्या देखना चाहेंगे? *(1/2)*

- सभी परिभाषाएँ PPV&FR अधिनियम 2001 में पहले से उपलब्ध परिभाषाओं — जैसे किसान, ब्रांडेड बीज, प्रजाति (Variety), किसानों की प्रजाति (Farmers' Variety) आदि — के अनुरूप रखी जानी चाहिए।
- किसान की परिभाषा में एक से अधिक व्यक्ति (अलग-अलग या संयुक्त रूप से) शामिल होने चाहिए, जैसा कि PPV&FR अधिनियम में दिया गया है, विशेषकर वे किसान जो सामुदायिक बीज बैंक चला रहे हैं। स्थानीय भौगोलिक क्षेत्रों में छोटे स्तर (मात्रा और मूल्य) पर सामुदायिक बीज प्रणालियों को जीवित रखने के लिए— किसानों (व्यक्तिगत या संयुक्त) को इस कानून के दायरे से स्पष्ट रूप से बाहर रखा जाना चाहिए, और किसानों की प्रजातियों (चाहे PPV&FR अधिनियम के तहत पंजीकृत हों या अपंजीकृत) को भी बाहर रखा जाना चाहिए।
- क्षतिपूर्ति (Compensation) से संबंधित प्रावधान अवश्य होना चाहिए, जिसमें समयबद्ध, स्थानीय स्तर पर सुगम तंत्र उपलब्ध हो।
  क्षतिपूर्ति की गणना केवल बीज लागत पर आधारित नहीं होनी चाहिए, बल्कि—
- खराब/दोषपूर्ण बीज के कारण नष्ट हुए पूरे मौसम की संभावित आय,
- पशुधन को हुए नुकसान,
- तथा पर्यावरणीय संसाधनों को हुई हानि भी शामिल होने चाहिए।
- एक क्षतिपूर्ति निधि (Compensation Fund) का गठन प्रस्तावित है, जिसमें इस कानून के उल्लंघन पर लगाए गए दंड से प्राप्त राशि के साथ-साथ सरकार के बजटीय प्रावधान भी शामिल किए जाएँ।
- परिभाषाओं में "सत्यापित लेबलयुक्त बीज (Truthfully Labeled Seed)" को शामिल किया जाए और यह स्पष्ट किया जाए कि ऐसा बीज भी अधिनियम में निर्धारित सभी मानकों का पालन करेगा।
- केंद्रीय बीज समिति (Central Seed Committee) में किसान प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाकर प्रत्येक क्षेत्र/ज़ोन से कम से कम दो की जाए, जिनमें एक महिला किसान अनिवार्य रूप से शामिल हो। राज्य बीज समिति (State Seed Committee) में भी किसान प्रतिनिधियों की संख्या अधिक होनी चाहिए।
- केंद्रीय और राज्य बीज समितियों में स्वतंत्र विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाना चाहिए।

बीज विधेयक में हम क्या देखना चाहेंगे? *(2/2)*

- विधेयक में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के प्रावधान होने चाहिए — संपूर्ण बीज रजिस्ट्री तथा बीज आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े सभी पंजीकृत पक्षों की जानकारी सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराई जाए। इसी प्रकार, एकत्रित किए गए सभी अन्य आँकड़ों को भी सार्वजनिक करना चाहिए।
- राज्य सरकार का नियामक अधिकार अत्यंत आवश्यक है और इसे केंद्र सरकार द्वारा कम नहीं किया जा सकता। यहाँ, पंजीकरण 'अस्वीकृत' करने का अधिकार भी राज्य सरकार के पास होना चाहिए — चाहे वह उत्पादकों, प्रोसेसिंग यूनिटों, आयातकों, खुदरा विक्रेताओं, वितरकों अथवा किसी विशेष किस्म से संबंधित हो।
- पंजीकरण की अस्वीकृति में सिंथेटिक बीज तथा वे किस्में शामिल होनी चाहिए जो जैव-सुरक्षित नहीं हैं।
- बीज मूल्य विनियमन अनिवार्य होना चाहिए और बीज मूल्य तय करने का अधिकार राज्य सरकारों को होना चाहिए।
- पौध नर्सरियों का विनियमन केवल एक निश्चित पैमाने (मात्रा और मूल्य) से ऊपर की इकाइयों पर लागू होना चाहिए — छोटे किसान द्वारा संचालित नर्सरियों पर अत्यधिक कागजी भार नहीं डाला जाना चाहिए।
- सभी प्रमाणीकरण एजेंसियों को उत्पादकों और विक्रेताओं के साथ संभावित हितों के टकराव से संबंधित संपूर्ण जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध करानी चाहिए।
- नमूनाकरण के लक्ष्य, आकार और विधि पूरी तरह वैज्ञानिक होने चाहिए तथा नियमों में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किए जाने चाहिए। किसी भी प्रावधान में टकराव की स्थिति में, 2001 का PPV&FR अधिनियम, बीज अधिनियम पर वरीयता प्राप्त करेगा।

बड़े बीज उद्यमों की छाप इस बिल पर हर जगह मौजूद है !
हमें इसका विरोध करना चाहिए ताकि सही विधेयक संसद में प्रस्तुत हो

चाहे बात विधेयक में प्रयुक्त भाषा की हो (‘ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस’ जैसी शब्दावली), या किसानों के लिए क्षतिपूर्ति संबंधी प्रावधानों को शामिल न करने की, या विदेशी परीक्षण तथा विदेशी प्रमाणन को स्वीकार करने की, अथवा वास्तविक बीज उद्योग से जुड़े बड़े व्यापारियों को गुणवत्ता विनियमन के दायरे से बाहर रखते हुए डीलरों तथा सामुदायिक बीज बैंक चलाने वाले महिला स्वयं सहायता समूहों जैसे अग्रपंक्ति के कार्यकर्ताओं को कठोर प्रावधानों के अंतर्गत लाने की — ‘बीज विधेयक 2025’ स्पष्ट रूप से भारत सरकार की किसानों के अधिकारों और हितों के प्रति जिम्मेदारी से मुक्ति तथा बीज उद्योग के चुनिंदा हितधारकों को संरक्षण देने का प्रयास प्रतीत होता है।

सभी किसान संगठनों को एकजुट होकर यह सुनिश्चित करना होगा कि इस विधेयक के केंद्र में किसानों के अधिकार हों, राज्य सरकारों की वैधानिक शक्तियाँ पुनर्स्थापित की जाएँ, और उद्योग को उन मुनाफाखोरी वाली गतिविधियों के लिए पूर्ण रूप से जवाबदेह बनाया जाए जो वह किसानों और उनकी आजीविका के नुकसान पर करता है।